

ग्रामीण परिवारों पर सरकारी योजनाओं के सामाजिक प्रभाव का विश्लेषणात्मक अध्ययन

(रीवा जिले के विशेष संदर्भ में)

डॉ. अखिलेश शुक्ला

प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष, समाजशास्त्र विभाग

शासकीय ठाकुर रणमत सिंह स्वशासी महाविद्यालय रीवा

जिला-रीवा (म.प्र.)

सारांश

प्रस्तुत शोध पत्र रीवा जिले के ग्रामीण परिवारों पर सरकारी योजनाओं के सामाजिक प्रभाव का विश्लेषणात्मक अध्ययन प्रस्तुत करता है। स्वतंत्रता के पश्चात से केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास हेतु अनेक कल्याणकारी योजनाएँ संचालित की जा रही हैं, जिनका उद्देश्य ग्रामीण परिवारों के जीवन-स्तर, शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक स्थिति एवं सामाजिक प्रतिष्ठा में सुधार लाना है। प्रस्तुत अध्ययन में रीवा जिले के विभिन्न विकासखण्डों से प्रतिचयन विधि द्वारा 100 हितग्राहियों का चयन किया गया है, जो प्रधानमंत्री आवास योजना, मनरेगा, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि आदि योजनाओं का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। संरचित अनुसूची के माध्यम से एकत्रित प्राथमिक आँकड़ों का सारणीयन एवं प्रतिशत विधि द्वारा विश्लेषण किया गया है। अध्ययन के निष्कर्षों से स्पष्ट होता है कि सरकारी योजनाओं ने ग्रामीण परिवारों की आर्थिक स्थिति, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधा, महिला सशक्तिकरण तथा सामाजिक प्रतिष्ठा पर सकारात्मक प्रभाव डाला है, तथापि क्रियान्वयन स्तर पर कुछ

व्यावहारिक कठिनाइयाँ भी परिलक्षित होती हैं। अंत में योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु उपयुक्त सुझाव प्रस्तुत किए गए हैं।

मुख्य शब्द-

सरकारी योजनाएँ, सामाजिक प्रभाव, ग्रामीण परिवार, हितग्राही, रीवा जिला, सामाजिक सुरक्षा, ग्रामीण विकास।

प्रस्तावना-

भारत एक कृषि प्रधान एवं ग्रामीण बहुल देश है, जहाँ आज भी अधिकांश जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। ग्रामीण समाज में गरीबी, बेरोजगारी, निरक्षरता, कुपोषण एवं सामाजिक असमानता जैसी समस्याएँ दीर्घकाल से विद्यमान रही हैं। इन समस्याओं के समाधान तथा ग्रामीण जनसंख्या के सर्वांगीण विकास हेतु केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा समय-समय पर विभिन्न कल्याणकारी योजनाएँ प्रारंभ की गई हैं। इन योजनाओं का मूल उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को आवास, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण एवं सामाजिक सुरक्षा जैसी बुनियादी सुविधाएँ उपलब्ध कराकर उनके जीवन-स्तर में सुधार लाना तथा उन्हें विकास की मुख्यधारा से जोड़ना है।

मध्यप्रदेश का रीवा जिला बघेलखण्ड-विंध्य क्षेत्र का एक प्रमुख जिला है, जिसकी अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि एवं पशुपालन पर आधारित है। जिले में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों की पर्याप्त जनसंख्या निवासरत है, जिनमें से अधिकांश परिवार आज भी सीमित संसाधनों एवं निम्न आय स्तर के कारण सामाजिक-आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं। ऐसी परिस्थिति में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना एवं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जैसी योजनाएँ रीवा जिले के ग्रामीण परिवारों के लिए विशेष महत्व रखती हैं।

सामाजिक प्रभाव के परिप्रेक्ष्य में यह आवश्यक हो जाता है कि इन योजनाओं के वास्तविक धरातलीय प्रभाव का वैज्ञानिक विश्लेषण किया जाए, जिससे यह ज्ञात हो सके कि योजनाएँ अपने निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति में किस सीमा तक सफल हुई हैं तथा हितग्राहियों के जीवन में किस प्रकार का परिवर्तन आया है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत शोध पत्र में रीवा जिले के 100 हितग्राही परिवारों के प्राथमिक सर्वेक्षण के आधार पर सरकारी योजनाओं के सामाजिक प्रभाव का विश्लेषणात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है।

शोध पत्र का उद्देश्य-

प्रस्तुत शोध पत्र के प्रमुख उद्देश्यों में रीवा जिले के ग्रामीण हितग्राही परिवारों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति का अध्ययन करना, जिले में संचालित प्रमुख सरकारी योजनाओं तथा उनसे लाभान्वित हितग्राहियों के वितरण का विश्लेषण करना तथा इन योजनाओं का हितग्राही परिवारों की आर्थिक स्थिति, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण एवं सामाजिक प्रतिष्ठा पर पड़ने वाले प्रभाव का मूल्यांकन करना सम्मिलित है। इसके साथ ही अध्ययन का उद्देश्य योजनाओं के क्रियान्वयन में हितग्राहियों द्वारा अनुभव की जाने वाली व्यावहारिक कठिनाइयों की पहचान करना तथा प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर योजनाओं के अधिक प्रभावी एवं सुगम क्रियान्वयन हेतु उपयुक्त सुझाव प्रस्तुत करना भी है।

महत्व-

प्रस्तुत अध्ययन का महत्व इस दृष्टि से अधिक बढ़ जाता है कि सरकारी योजनाओं पर होने वाला सार्वजनिक व्यय निरंतर बढ़ रहा है, परंतु इन योजनाओं के वास्तविक सामाजिक प्रभाव का धरातलीय स्तर पर वैज्ञानिक मूल्यांकन प्रायः सीमित ही होता है। रीवा जिले जैसे अर्धविकसित एवं कृषि-प्रधान क्षेत्र में यह अध्ययन योजनाओं की उपयोगिता, पहुँच एवं प्रभावशीलता को समझने में सहायक होगा। यह अध्ययन नीति-निर्माताओं, प्रशासनिक अधिकारियों तथा ग्रामीण विकास से जुड़े शोधार्थियों के लिए भी उपयोगी सिद्ध होगा, क्योंकि इससे योजनाओं के क्रियान्वयन में सुधार की दिशा में वास्तविक आँकड़ों पर आधारित सुझाव प्राप्त होंगे। इसके अतिरिक्त यह अध्ययन समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से ग्रामीण परिवारों में हो रहे सामाजिक परिवर्तन को समझने में भी योगदान देगा।

शोध प्रविधि-

प्रस्तुत अध्ययन वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक शोध प्रविधि पर आधारित है, जिसमें प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों प्रकार के आँकड़ों का उपयोग किया गया है। अध्ययन क्षेत्र के रूप में मध्यप्रदेश के रीवा जिले को चुना गया है तथा जिले के हुजूर, त्योंथर, मनगंवा, गंगेव, रायपुर कर्चुलियान, जवा एवं सेमरिया विकासखण्डों से प्रतिचयन विधि द्वारा कुल 100 हितग्राहियों का चयन किया गया है, जो विभिन्न सरकारी योजनाओं का प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त कर रहे हैं। प्राथमिक आँकड़ों के संग्रहण हेतु एक संरचित अनुसूची (इंटरव्यू शिड्यूल) तैयार की गई, जिसके माध्यम से हितग्राहियों से प्रत्यक्ष साक्षात्कार द्वारा सूचना प्राप्त की गई। द्वितीयक आँकड़े जिला पंचायत रीवा, ग्रामीण विकास विभाग तथा भारत सरकार एवं राज्य सरकार के शासकीय प्रतिवेदनों से प्राप्त किए गए हैं। एकत्रित आँकड़ों का सारणीयन कर प्रतिशत विधि द्वारा विश्लेषण किया गया है तथा निष्कर्षों का प्रस्तुतीकरण सारणी एवं सरल भाषा में विश्लेषणात्मक विवरण के माध्यम से किया गया है।

रीवा जिले में सरकारी योजनाओं का परिचय-

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत रीवा जिले के बेघर एवं कच्चे मकानों में निवास करने वाले ग्रामीण परिवारों को पक्के आवास निर्माण हेतु आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना ने जिले के अनेक निर्धन परिवारों को सुरक्षित एवं स्थायी आवास उपलब्ध कराकर उनकी सामाजिक सुरक्षा में उल्लेखनीय वृद्धि की है।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) रीवा जिले के ग्रामीण श्रमिक परिवारों को स्थानीय स्तर पर रोजगार की गारंटी प्रदान करने वाली प्रमुख योजना है। इस योजना के माध्यम से ग्रामीण परिवारों को कृषि-कार्य के अभाव वाले मौसम में भी नियमित रोजगार तथा आय का साधन उपलब्ध हो पाता है, जिससे ग्रामीण पलायन में भी कमी आई है।

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत रीवा जिले के ग्रामीण परिवारों को निःशुल्क अथवा रियायती दर पर एलपीजी गैस कनेक्शन उपलब्ध कराया गया है, जिससे परंपरागत चूल्हे पर निर्भरता कम हुई है तथा महिलाओं के स्वास्थ्य एवं समय की बचत पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

आयुष्मान भारत योजना (प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना) के माध्यम से रीवा जिले के निर्धन एवं वंचित परिवारों को गंभीर बीमारियों के उपचार हेतु निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। इस योजना ने ग्रामीण परिवारों को महँगे उपचार के आर्थिक बोझ से बचाकर उनकी सामाजिक सुरक्षा को सशक्त किया है।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत जिले के पात्र किसान परिवारों को प्रत्येक वर्ष निश्चित राशि की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, जिससे कृषि लागत की पूर्ति एवं परिवार की आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायता मिलती है।

इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से रियायती दर पर खाद्यान्न, जल जीवन मिशन के माध्यम से घर-घर नल जल संयोजन

तथा सक्षम आँगनवाड़ी/आईसीडीएस कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों एवं महिलाओं हेतु पोषण एवं स्वास्थ्य सेवाएँ भी रीवा जिले के ग्रामीण परिवारों को उपलब्ध कराई जा रही हैं, जो सम्मिलित रूप से जिले के सामाजिक सुरक्षा ढाँचे को सुदृढ़ करती हैं।

आँकड़ों का विश्लेषण एवं निर्वचन-

इस भाग में रीवा जिले के 100 हितग्राही परिवारों से प्राप्त प्राथमिक आँकड़ों का सारणीयन कर उनका विश्लेषण एवं निर्वचन प्रस्तुत किया गया है। सर्वप्रथम उत्तरदाताओं के जनसांख्यिकीय विवरण को प्रस्तुत किया गया है, तत्पश्चात योजनावार हितग्राहियों के वितरण तथा योजनाओं के सामाजिक प्रभाव संबंधी आँकड़ों का विश्लेषण किया गया है।

उत्तरदाताओं का जनसांख्यिकीय विवरण-

सारणी 1

आयु वर्ग के आधार पर उत्तरदाताओं का वितरण

आयु वर्ग	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
25-35 वर्ष	18	18.0
36-45 वर्ष	32	32.0
46-55 वर्ष	28	28.0
56 वर्ष एवं अधिक	22	22.0
योग	100	100.0

स्रोत-व्यक्तिगत सर्वेक्षण के आधार पर।

सारणी 1 से स्पष्ट होता है कि सर्वाधिक 32.0 प्रतिशत उत्तरदाता 36-45 वर्ष की आयु वर्ग में सम्मिलित हैं, जबकि 28.0 प्रतिशत उत्तरदाता 46-55 वर्ष की आयु वर्ग में हैं। 22.0 प्रतिशत उत्तरदाता 56 वर्ष अथवा उससे अधिक आयु के हैं तथा सबसे कम 18.0 प्रतिशत उत्तरदाता 25-35 वर्ष की युवा आयु वर्ग के हैं। इससे स्पष्ट होता है कि अध्ययन में सम्मिलित अधिकांश हितग्राही मध्यम एवं प्रौढ़ आयु वर्ग के परिवार-प्रधान हैं, जो सामान्यतः योजनाओं से संबंधित निर्णय लेने की स्थिति में होते हैं।

सारणी 2

लिंग के आधार पर उत्तरदाताओं का वितरण

लिंग	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
------	-----------------------	---------

पुरुष	62	62.0
महिला	38	38.0
योग	100	100.0

स्रोत-व्यक्तिगत सर्वेक्षण के आधार पर।

सारणी 2 के अनुसार 62.0 प्रतिशत उत्तरदाता पुरुष तथा 38.0 प्रतिशत उत्तरदाता महिला हैं। यह दर्शाता है कि सर्वेक्षण में यद्यपि पुरुष उत्तरदाताओं की संख्या अधिक रही, तथापि उज्ज्वला योजना एवं आवास योजना जैसी योजनाओं में महिला हितग्राहियों की सहभागिता भी उल्लेखनीय रूप से देखी गई, जो ग्रामीण योजनाओं में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी का संकेत है।

सारणी 3

शैक्षणिक स्तर के आधार पर उत्तरदाताओं का वितरण

शैक्षणिक स्तर	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
निरक्षर	24	24.0
प्राथमिक स्तर	30	30.0
माध्यमिक स्तर	26	26.0
उच्च माध्यमिक एवं उससे अधिक	20	20.0
योग	100	100.0

स्रोत-व्यक्तिगत सर्वेक्षण के आधार पर।

शैक्षणिक स्तर के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि 24.0 प्रतिशत उत्तरदाता निरक्षर हैं तथा सबसे अधिक 30.0 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने प्राथमिक स्तर तक शिक्षा प्राप्त की है। 26.0 प्रतिशत

उत्तरदाता माध्यमिक स्तर तक तथा मात्र 20.0 प्रतिशत उत्तरदाता उच्च माध्यमिक अथवा उससे अधिक स्तर तक शिक्षित हैं। इससे स्पष्ट होता है कि अध्ययन क्षेत्र के ग्रामीण हितग्राही परिवारों में शैक्षणिक स्तर अपेक्षाकृत निम्न है, जो योजनाओं की जानकारी एवं क्रियान्वयन प्रक्रिया को समझने में उनकी सीमाओं को भी परिलक्षित करता है।

सारणी 4

व्यवसाय के आधार पर उत्तरदाताओं का वितरण

व्यवसाय	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
कृषि कार्य	46	46.0
मजदूरी	28	28.0
पशुपालन	12	12.0
स्वरोजगार एवं अन्य	14	14.0
योग	100	100.0

स्रोत-व्यक्तिगत सर्वेक्षण के आधार पर।

व्यावसायिक विवरण के अनुसार सर्वाधिक 46.0 प्रतिशत उत्तरदाता कृषि कार्य से जुड़े हैं, जबकि 28.0 प्रतिशत उत्तरदाता मजदूरी पर निर्भर हैं। 12.0 प्रतिशत उत्तरदाता पशुपालन तथा 14.0 प्रतिशत उत्तरदाता स्वरोजगार एवं अन्य व्यवसायों में संलग्न हैं। इससे स्पष्ट होता है कि अध्ययन क्षेत्र की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों पर निर्भर है, जिस कारण मनरेगा एवं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जैसी योजनाओं का महत्व और अधिक बढ़ जाता है।

योजनावार हितग्राहियों का वितरण-

सारणी 5

प्रमुख सरकारी योजनाओं के अनुसार हितग्राहियों का वितरण

योजना का नाम	हितग्राहियों की संख्या	प्रतिशत
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)	22	22.0
मनरेगा	20	20.0
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना	16	16.0
आयुष्मान भारत योजना	14	14.0
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि	12	12.0
सार्वजनिक वितरण प्रणाली (राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा)	10	10.0
जल जीवन मिशन एवं अन्य	6	6.0
योग	100	100.0

स्रोत-व्यक्तिगत सर्वेक्षण के आधार पर।

सारणी 5 से स्पष्ट होता है कि सर्वाधिक 22.0 प्रतिशत हितग्राही प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) से तथा 20.0 प्रतिशत हितग्राही मनरेगा से लाभान्वित हैं। 16.0 प्रतिशत हितग्राही प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना तथा 14.0 प्रतिशत आयुष्मान भारत योजना से जुड़े हैं। इसके अतिरिक्त 12.0 प्रतिशत हितग्राही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, 10.0 प्रतिशत सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा 6.0 प्रतिशत जल जीवन मिशन एवं अन्य योजनाओं से लाभान्वित हो रहे हैं। यह वितरण दर्शाता है कि आवास एवं रोजगार से संबंधित योजनाएँ रीवा जिले के ग्रामीण परिवारों में अपेक्षाकृत अधिक लोकप्रिय एवं सुगम्य हैं।

सरकारी योजनाओं का सामाजिक प्रभाव

सारणी 6

आय स्तर पर योजनाओं के प्रभाव संबंधी उत्तरदाताओं की राय

प्रभाव की स्थिति	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
पर्याप्त सुधार हुआ	34	34.0
आंशिक सुधार हुआ	46	46.0
कोई सुधार नहीं हुआ	20	20.0
योग	100	100.0

स्रोत-व्यक्तिगत सर्वेक्षण के आधार पर।

आय स्तर पर योजनाओं के प्रभाव के संबंध में 34.0 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने पर्याप्त सुधार तथा 46.0 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने आंशिक सुधार की स्थिति व्यक्त की है, जबकि 20.0 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कोई सुधार अनुभव नहीं किया। इससे स्पष्ट होता है कि योजनाओं ने अधिकांश हितग्राही परिवारों की आर्थिक स्थिति में कुछ न कुछ सकारात्मक परिवर्तन अवश्य लाया है, तथापि लाभ की मात्रा एवं नियमितता में भिन्नता पाई जाती है।

सारणी 7

बच्चों की शिक्षा पर योजनाओं के प्रभाव संबंधी उत्तरदाताओं की राय

प्रभाव की स्थिति	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
सकारात्मक प्रभाव	58	58.0
आंशिक प्रभाव	30	30.0

कोई प्रभाव नहीं	12	12.0
योग	100	100.0

स्रोत-व्यक्तिगत सर्वेक्षण के आधार पर।

शिक्षा के संबंध में 58.0 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने सकारात्मक प्रभाव तथा 30.0 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने आंशिक प्रभाव की जानकारी दी, जबकि 12.0 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कोई प्रभाव अनुभव नहीं किया। यह दर्शाता है कि आर्थिक स्थिति में हुए सुधार के परिणामस्वरूप हितग्राही परिवार अपने बच्चों की शिक्षा पर अधिक ध्यान देने में सक्षम हो पाए हैं तथा विद्यालयी नियमितता एवं शैक्षणिक व्यय में भी वृद्धि देखी गई है।

सारणी 8

स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता पर योजनाओं के प्रभाव संबंधी उत्तरदाताओं की राय

प्रभाव की स्थिति	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
उल्लेखनीय सुधार	40	40.0
सामान्य सुधार	38	38.0
कोई सुधार नहीं	22	22.0
योग	100	100.0

स्रोत-व्यक्तिगत सर्वेक्षण के आधार पर।

स्वास्थ्य सुविधाओं के संदर्भ में 40.0 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने उल्लेखनीय सुधार तथा 38.0 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने सामान्य सुधार की स्थिति बताई है, जबकि 22.0 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने किसी प्रकार के सुधार से इनकार किया। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत निःशुल्क उपचार

सुविधा तथा उज्ज्वला योजना के अंतर्गत स्वच्छ ईंधन की उपलब्धता के कारण हितग्राही परिवारों में स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता एवं सुविधाओं की पहुँच दोनों में वृद्धि हुई है।

सारणी 9

महिला सशक्तिकरण पर योजनाओं के प्रभाव संबंधी उत्तरदाताओं की राय

प्रभाव की स्थिति	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
सशक्तिकरण में वृद्धि हुई	52	52.0
आंशिक वृद्धि हुई	31	31.0
कोई परिवर्तन नहीं	17	17.0
योग	100	100.0

स्रोत-व्यक्तिगत सर्वेक्षण के आधार पर।

महिला सशक्तिकरण के संदर्भ में 52.0 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने सशक्तिकरण में वृद्धि तथा 31.0 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने आंशिक वृद्धि की जानकारी दी, जबकि 17.0 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कोई विशेष परिवर्तन अनुभव नहीं किया। उज्ज्वला योजना एवं आवासीय योजनाओं में महिलाओं के नाम पर संपत्ति एवं संसाधनों के हस्तांतरण से महिलाओं की घरेलू निर्णय-प्रक्रिया में भागीदारी तथा समय की बचत में वृद्धि हुई है, जिससे उनके सामाजिक सशक्तिकरण को बल मिला है।

सारणी 10

सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि संबंधी उत्तरदाताओं की राय

प्रभाव की स्थिति	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
------------------	-----------------------	---------

पर्याप्त वृद्धि हुई	36	36.0
आंशिक वृद्धि हुई	44	44.0
कोई वृद्धि नहीं हुई	20	20.0
योग	100	100.0

स्रोत-व्यक्तिगत सर्वेक्षण के आधार पर।

सामाजिक प्रतिष्ठा के संबंध में 36.0 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने पर्याप्त वृद्धि तथा 44.0 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने आंशिक वृद्धि का अनुभव किया, जबकि 20.0 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने इस दृष्टि से कोई विशेष परिवर्तन नहीं माना। पक्के मकान, नियमित रोजगार एवं स्वच्छ ईंधन जैसी सुविधाओं की प्राप्ति से हितग्राही परिवारों की सामाजिक स्वीकृति एवं आत्मसम्मान में सुधार होना स्वाभाविक है।

सारणी 11

योजनाओं के क्रियान्वयन में अनुभव की गई कठिनाइयाँ

कठिनाई का प्रकार	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
दस्तावेजीकरण संबंधी समस्या	28	28.0
जानकारी का अभाव	24	24.0
भ्रष्टाचार/बिचौलियों की भूमिका	18	18.0
विलंब से लाभ प्राप्ति	20	20.0

कोई कठिनाई नहीं	10	10.0
योग	100	100.0

स्रोत-व्यक्तिगत सर्वेक्षण के आधार पर।

क्रियान्वयन संबंधी कठिनाइयों के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि 28.0 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने दस्तावेजीकरण संबंधी समस्या तथा 24.0 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने जानकारी के अभाव को प्रमुख कठिनाई बताया है। 18.0 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने भ्रष्टाचार अथवा बिचौलियों की भूमिका तथा 20.0 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने विलंब से लाभ प्राप्ति की समस्या का उल्लेख किया, जबकि मात्र 10.0 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने किसी प्रकार की कठिनाई का अनुभव नहीं किया। इससे स्पष्ट होता है कि योजनाओं के लाभ स्वयं में सकारात्मक होने के बावजूद उनके क्रियान्वयन तंत्र में सुधार की पर्याप्त आवश्यकता विद्यमान है।

निष्कर्ष-

प्रस्तुत अध्ययन के निष्कर्षों से स्पष्ट होता है कि रीवा जिले में संचालित प्रधानमंत्री आवास योजना, मनरेगा, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत योजना तथा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जैसी सरकारी योजनाओं ने ग्रामीण हितग्राही परिवारों के जीवन-स्तर में उल्लेखनीय सकारात्मक परिवर्तन लाया है। अध्ययन में सम्मिलित अधिकांश हितग्राही परिवारों की आर्थिक स्थिति, बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता, महिला सशक्तिकरण तथा सामाजिक प्रतिष्ठा में सुधार पाया गया है। तथापि, एक उल्लेखनीय अनुपात में हितग्राहियों ने दस्तावेजीकरण संबंधी समस्या, जानकारी के अभाव, भ्रष्टाचार अथवा बिचौलियों की भूमिका एवं लाभ प्राप्ति में विलंब जैसी व्यावहारिक कठिनाइयों का भी सामना किया है। संक्षेप में कहा जा सकता है कि सरकारी योजनाएँ अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में सामान्यतः सफल रही हैं, परंतु उनके क्रियान्वयन तंत्र को अधिक सरल, पारदर्शी एवं संवेदनशील बनाने की आवश्यकता है, जिससे योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र परिवार तक समय पर एवं पूर्ण रूप से पहुँच सके।

सुझाव-

अध्ययन के निष्कर्षों के आधार पर यह सुझाव दिया जाता है कि ग्रामीण हितग्राहियों को योजनाओं की जानकारी सुगमता से उपलब्ध कराने हेतु ग्राम स्तर पर नियमित रूप से जागरूकता शिविरों एवं प्रचार-प्रसार गतिविधियों का आयोजन किया जाना चाहिए, जिससे पात्र परिवार समय पर योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकें। दस्तावेजीकरण की प्रक्रिया को सरल बनाने तथा पंचायत स्तर पर ही आवश्यक कागजी कार्यवाही पूर्ण कराने की व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए, जिससे हितग्राहियों को बार-बार कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें। भ्रष्टाचार एवं बिचौलियों की भूमिका को समाप्त करने हेतु योजनाओं के क्रियान्वयन में डिजिटल निगरानी एवं सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाया जाना चाहिए। इसके साथ ही लाभ की राशि अथवा सुविधा हितग्राहियों तक समय पर पहुँचे, इस हेतु प्रशासनिक स्तर पर निगरानी तंत्र को सुदृढ़ किया जाना आवश्यक है। अंततः यह भी सुझाव दिया जाता है कि योजनाओं के प्रभाव का समय-समय पर स्वतंत्र सामाजिक अनुसंधान द्वारा मूल्यांकन कराया जाए, जिससे योजनाओं में आवश्यक संशोधन एवं सुधार समय पर किए जा सकें।

संदर्भ-

1. भारत सरकार (2023). आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23। वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली।
2. ग्रामीण विकास मंत्रालय (2023). महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम : वार्षिक प्रतिवेदन। भारत सरकार, नई दिल्ली।
3. जिला पंचायत रीवा (2023). जिला वार्षिक योजना प्रतिवेदन, रीवा (म.प्र.)।
4. राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 (2021). स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
5. सिंह, आर.पी. (2020). ग्रामीण विकास एवं सरकारी योजनाएँ। रावत पब्लिकेशन, जयपुर।

6. शर्मा, एस.के. (2019). भारत में ग्रामीण कल्याण योजनाएँ : एक समाजशास्त्रीय अध्ययन। न्यू सेंचुरी पब्लिकेशन, नई दिल्ली।
7. मध्यप्रदेश शासन (2023). मध्यप्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23। योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, भोपाल।
8. जनगणना निदेशालय (2011). जिला जनगणना हस्तपुस्तिका, रीवा। भारत सरकार, नई दिल्ली।
9. ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार। प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण, आधिकारिक पोर्टल।
10. यादव, वी.एन. (2018). भारत में सामाजिक सुरक्षा एवं ग्रामीण विकास। अर्जुन पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली।